

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 4344-4845

Dated 12-7-2003

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2003

का० आ० 1881.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश का० आ० 67(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 जनवरी, 2003 में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, खंड (3) के उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा;

(घ) बासमती चावल के किसी परेषण के मामले में, जिसके लिए ऊपर उपखंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित मानक लागू नहीं होते हैं या किसी अन्य आकस्मिकता में, स्थाई समिति द्वारा बनाए गए मानक लागू किए जाएंगे; जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

1. संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन (कृषि)  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (फसलें), कृषि मंत्रालय,  
कृषि भवन, नई दिल्ली —सदस्य
3. निदेशक (निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण)  
निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली —सदस्य
4. संयुक्त आयुक्त (एस एण्ड आर)  
उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और  
सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली —सदस्य
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,  
नई दिल्ली से प्रतिनिधि —सदस्य
6. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात  
विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि —सदस्य
7. अखिल भारतीय चावल निर्यातक  
संगम, नई दिल्ली से प्रतिनिधि —सदस्य

[फाइल सं० 6/2/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, उप सचिव

पाठ लिप्यण्ट :—मूल आदेश का०आ० 67(अ) दिनांक 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2003

S. O. 1881.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the Order of Government of India in the Ministry of Commerce and Industry S.O. 67(E) dated 23rd January, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 23rd January, 2003, namely:—

In the said Order, after sub-clause (c) of clause (3) the following shall be added;

(d) in the case of any consignment of Basmati Rice for which standards mentioned at sub-clauses (a), (b) and (c) above are not applicable or in any other contingency, the standards formulated by a Standing Committee consisting of the following members shall be made applicable:

1. Joint Secretary, Export Promotion  
(Agriculture), Ministry of  
Commerce and Industry,  
New Delhi —Chairman
2. Joint Secretary (Crops), Ministry  
of Agriculture, Krishi Bhawan,  
New Delhi —Member
3. Director (Inspection and Quality  
Control), Export Inspection  
Council, New Delhi —Member
4. Joint Commissioner (S&R)  
Ministry of Consumer Affairs,  
Department of Food and Public  
Distribution, New Delhi —Member
5. Representative from Indian  
Agricultural Research Institute,  
New Delhi —Member
6. Representative from Agricultural  
and Processed Food Products  
Export Development Authority —Member
7. Representative from All India  
Rice Exporters' Association,  
New Delhi —Member

[F. No. 6/2/2000-BI&amp;EP]

RAJ SINGH, Dy. Secy.

Foot Note :—The Principal Order was published vide S.O. 67(E) dated 23rd January, 2003.